

सयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
जोन अजमेर, बीकानेर, भरतपुर,
जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर

विषय:- मासिक आय एवं व्यय मानचित्र भिजवाने बाबत।

**संदर्भ:- लेखा अनुभाग का पत्र क्रमांक लेखा/अकमिलान/2019-20/1783 दिनांक 16.7.19
एवं स्मरण पत्र क्रमांक 2598 दिनांक 14.08.2019**

उपरोक्त विषयान्तर्गत एव सदरभित पत्रों के क्रम में लेख है कि आपके एव आपके जोन के अधीनस्थ निम्नांकित कार्यालयों के नाम के सामने अकितानुसार माह के मासिक आय एवं व्यय मानचित्र तथा अकमिलान प्रमाण पत्र अकित नहीं है जो इस कार्यालय द्वारा बार-बार दूरभाष पर अवगत कराने के उपरान्त भी आदिनाक तक अपेक्षित है-

क्र.सं.	कार्यालय जिनके व्यय मानचित्र बकाया है	माह	क्र.सं.	कार्यालय जिनके व्यय मानचित्र बकाया है	माह
1	CMHO Bundi	04/19to 06/19	14	Govt.MOICPhalodi (Jodhpur)	06/19
2	CMHO Chittorgarh	06/19	15	MOIC T B Clinic Bikaner	04/19
3	CMHO Jaisalmer	04/19 to 06/19	16	MOIC T B Clinic Chittorgarh	06/19
4	CMHO Rajsamand	04/19 to 06/19	17	MOIC T B Clinic Jaisalmer	04/19 to 06/19
5	CMHO Sirohi	04/19 to 06/19	18	MOIC T B Clinic Jhalwara	06/19
6	CMHO Udaipur	04/19 to 06/19	19	MOIC T B Clinic Tonk	04/19 to 06/19
7	PMO Bhilwara	04/19 to 06/19	20	MOIC T B Clinic Shri Ganganagar	06/19
8	PMO Hanumangarh	06/19	21	Suped. AGHS Bikaner	05/19 to 06/19
9	PMO Nagaur	04/19 to 06/19	22	KNTC Ajmer	06/19
10	PMO Pali	05/19 to 06/19	23	P&C Jodhpur	04/19 to 06/19
11	PMO Sirohi	06/19	24	Suped. AGHS Jaipur	04/19 to 06/19
12	PMO Pratapgarh	05/19 to 06/19			
13	PMO Sagwara (Dungerpur)	06/19			

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार बकाया मासिक आय एवं व्यय मानचित्रों के साथ माह जुलाई 2019 के मासिक आय एवं व्यय मानचित्रों में राजकोष से व्यय किए गए खर्चों का मिलान कर प्रमाण पत्र अकित करते हुए को दिनांक 30.08.2019 तक एवं आगामी माहों की सूचना प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से भिजवाये। अन्यथा अवशेष बजट राशि को प्रत्याहरित कर लिया जावेगा, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक 27/8/19

क्रमांक –लेखा ()अकमिलान/2019-20/2756

प्रतिलिपि –निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 2 समस्त सयुक्त निदेशक, जोन राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना आपके अधीनस्थ कार्यालयों से यथा समय पर उपलब्ध कराने हेतु पाबन्द करे।
- 3 राज्य क्षय रोग अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना आपके अधीनस्थ कार्यालयों से यथा समय पर उपलब्ध कराने हेतु पाबन्द करे।
- 4 सहायक लेखाधिकारी (बजट) मुख्यालय को आवश्यक एव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वित्तीय सलाहकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।